

डा० सुर्व प्रकाशपुरी :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये कुछ और विशेष गर्भ निरोधकों पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) इस कार्यक्रम को गांवों में अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये क्या नये कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) कुछ समुदायों द्वारा जान बूझ कर परिवार नियोजन के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां ।

(ख) जो नये कदम उठाये गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) प्रति 10,000 की आबादी के लिए एक उप-केन्द्र खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब तक 13,897 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है ।

(2) प्रति 80,000 से 1 लाख की आबादी के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक मुख्य ग्राम्य परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र खोलने की मंजूरी दी गई है। अब तक 4,519 केन्द्र खोले जा चुके हैं ।

(3) मुख्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के अतिरिक्त, ग्राम्य चिकित्सा केन्द्र भी परिवार नियोजन के सम्बन्ध में परामर्श दे रहे हैं और गर्भ-निरोधक बांट रहे हैं। ऐसे केन्द्रों की संख्या 7,399 है ।

(4) ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिबिरों और सक्ल एककों के जरिए सेवाएं भी

उपलब्ध की जाती हैं। इस कार्य के लिए प्रति 5 से 7.5 लाख की आबादी के लिए एक सक्ल एकक की मंजूरी दे दी गई है ।

(5) लोगों को शिक्षित और श्रेष्ठ करने के लिए, एक ब्लाक स्तर प्रसारण प्रशिक्षक और दो परिवार नियोजन क्षेत्र-कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई है। ग्राम्य स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता के लिए, भवैतनिक परिवार नियोजन सहायकों और सहायिकाओं को भी नियुक्त किया जा रहा है। बहुत से क्षेत्रों में ग्राम्य स्तर पर स्वैच्छिक डिपो होल्डर भी नियुक्त किए गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेरणा और शिक्षा देने के लिए ग्राम सेवकों/सेविकाओं को भी शामिल किया गया है ।

(6) ग्राम्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्य सरकारों की सहायता से 4 भी उपलब्ध जन शिक्षा साधनों अर्थात् फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स आदि का प्रयोग किया जा रहा है ।

(7) सभी मामले जिनमें डाक्टरी देख-भाल की जाती है (जैसे नसबन्दी/लूप पहनना) का स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन स्टाफ देख-भाल करता है और आवश्यक मामलों में उपचार की व्यवस्था की जाती है ।

(8) मजदूरी के नुकसान और परिवहन आदि के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को क्षति-पूर्ति धन दिया जाता है ।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

Additional Funds for Irrigation in U.P.

7902. Shri Vidya Dhar Bajpai: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether in view of the acute food shortage in U.P., additional funds

are being allotted for irrigation works in that State during the current year; and

(b) if so, the amount thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). An outlay of Rs. 16 crores for major and medium irrigation schemes and Rs. 28 crores for minor irrigation schemes has been approved for 1967-68 for U.P. The State Government has requested for allotment of additional funds amounting to Rs. 4 crores for minor irrigation schemes during the current year. The matter is under consideration of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coöperation.

Assistance to U.P.

7903. Shri Vidya Dhar Bajpai: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the amount allocated to the Uttar Pradesh Government out of Rs. 98 crores of additional Central assistance provided for 1967-68;

(b) the schemes on which the additional allocation will be spent; and

(c) the details thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The amount of Rs. 98 crores consists of Rs. 55 crores for State Plans, Rs. 38 crores, for assistance to Scarcity affected States and Rs. 5 crores for purchase of debentures of Cooperative Land Mortgage Banks, as indicated in the Supplement to the Explanatory Memorandum on the Central Budget laid before Parliament.

Out of the additional Plan assistance of Rs. 55 crores. Rs. 8 crores have been allotted to Uttar Pradesh. The distribution of scarcity relief assistance will depend upon the requirements from time to time and no State-wise allocation can be made in advance. As regards the sum of

Rs. 5 crores for debentures of Land Mortgage Bank, no State-wise distribution has so far been made.

(b) and (c). The additional Plan assistance of Rs. 8 crores indicated above is for the State Plan as a whole and is not related to specific schemes.

Allocations to U.P. in First Year of Fourth Plan

7904. Shri Vidya Dhar Bajpai: Will the Minister of Planning be pleased to state:

(a) the amount of allocations made for U.P. during the first year of the Fourth Five Year Plan for implementation of the scheme under the said Plan; and

(b) the amount actually paid to U.P. out of this allocation during the above period?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) and (b) Against an allocation of Central assistance of Rs. 90.29 crores for the States's Annual Plan 1966-67, the actual release amounted to Rs. 86.83 crores. In addition, a grant of Rs. 1 crore was paid provisionally for Rural Water Supply Programme in the drought affected areas of Uttar Pradesh.

Medical Education and Training in Uttar Pradesh

7905. Shri K. N. Pandey: Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state:

(a) the total amount granted to the Government of Uttar Pradesh for the Centrally-sponsored scheme under the Head—Medical Education and Training during 1966-67; and

(b) the manner in which the amount was utilised by the State during the above period?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family